


07 ⁰²/₂₃

अधिराषी अधिकारी नगरपालिका बाली के पत्र क्रमांक न.पा.वा./
2022-23/4124 दिनांक 31-01-2023 के संदर्भ में
पत्रावली आज बुनवई पर ली गई। अधिराषी अधिकारी
नगरपालिका बाली ने अपने उक्त पत्र से अवगत कराया
कि पुराना चै निर्गत भूमि बाली के अस्सा नं. 2278 रुबा
२.०५ हेक्टर भूमि के ले-आऊट प्लान का नगरपालिका द्वारा
अनुमोदन कर धारा ५०-क के आदेश जारी किये गये तब
दहसीलदार बाली द्वारा निर्गत भूमि अस्सा नं. 2278 रुबा
२.०५ हेक्टर भूमि की नगरपालिका बाली के खाते में दर्ज किया
जा चुका है जिससे निर्गत भूमि निजी खातेदारों वारीगण व
प्रतिवारीगण के खाते में दर्ज भूमि दर्ज न रहकर आबादी भूमि
है चुकी है जिससे धारा-53 के तहत उक्त पद लंबित रहना
विधिसम्मत नहीं होने से वाद वारीगण मध्य कोउटरमलेम धारिज किया
जाता है। पत्रावली निर्गत सुमार हेक्टर नम्बर से कम है। अधिरा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामिल में जारी
हुये

प्रति अधिशाही अधिकारी नगरपालिका, बाली को पत्र दिनांक
31-01-2023 के संदर्भ में पालनार्थ भिजवाई जावे।


उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)